दिनांक–02.11.2015 को सोनपुर मेला में विभागीय तैयारी के संबंध में आहुत बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. डा० डी० के० शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
2. श्री एस० एस० चौधरी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार
3. श्री मुरारी जी मिश्र, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार
4. श्री संतोष तिवारी, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर
5. श्री पी० के० जायसवाल, वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर
6. श्री सुरेन्द्र सिंह, वन संरक्षक (मुख्यालय)
7. श्री अभय कुमार, वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, पटना
8. श्री एस० सुधाकर, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा
9. श्री नवीन कुमार, सेवानिवृत महाप्रबंधक, पर्यटन विकास निगम, पटना
10. श्री अरविन्द मिश्रा, सदस्य, राज्य वन्यप्राणी पर्षद
11. डा० रिंकु गोहेन, एरावत संस्था
12. श्री अख्तर इमाम, एरावत संस्था
13. डा० गोपाल शर्मा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, पटना

कार्यवाही :–

डा० डी० के० शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा बताया गया कि इस वर्ष सोनपुर मेला जो 25 नवम्बर से आरम्भ हो रहा है, में विभाग की तरफ से विभागीय कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच प्रदर्शित करने के लिए जन–जागरूकता कार्यक्रम के तहत भव्य प्रदर्शनी लगाई जायेगी। इसके साथ पूर्व की भाँति मेला कैम्प भी लगाया जायेगा। इन दोनों कार्यों के साथ इस वर्ष से हाथी बाजार एवं पक्षी बाजार पर विशेष रूप से नजर रखकर अवैधानिक कार्रवाई पर रोक लगाई जायेगी। इन कार्यों को संतोषप्रद तरीके से करने के लिए निम्नवत् निर्णय लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई :–

1. **प्रदर्शनी एवं कैम्प के लिए जमीन की व्यवस्था** :–

विधान सभा चुनाव रहने के कारण जमीन आवंटन का पत्र पर्यटन निदेशालय से आया था। मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार द्वारा वन संरक्षक, सीवान से वार्त्ता कर प्रदर्शनी के लिए 150 फीट X 60 फीट तथा कैम्प के लिए 200 फीट X 100 फीट जमीन का अधियाचना पत्र भेजा गया है। पर्यटन निदेशालय से पता करने पर ज्ञात हुआ है कि सभी विभागों से प्राप्त अधियाचना पत्र जिला पदाधिकारी, सारण को जमीन आवंटन हेतु भेज दिया गया है और इस वर्ष जमीन का शुल्क बढ़ाकर 10 रू० प्रति वर्ग फुट कर दिया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल से अनुरोध किया गया है कि वे जिला पदाधिकारी से मिलकर दोनों कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले जमीन का आवंटन करा लें।

(अनुपालन : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा)

(50)

2. <u>प्रदर्शनी में शामिल किये जाने वाले विषय</u> :–

इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि प्रदर्शनी में मॉडल के रूप में हरियाली मिशन के कार्यक्रम, जंगल उजड़ने के दुष्परिणाम, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की सामग्रियाँ, इको–टूरिज्म, विभागीय कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकलाप तथा वानिकी विकास निगम के कार्यकलाप को दर्शाया जायेगा। इसके अलावा फलैक्सी के द्वारा विभागीय कार्यक्रम, मानव–पशु द्वंद्व, जलवायु परिवर्त्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम, आम लोगों के लिए विभाग से संबंधित नियम–कानून ओर जानकारी भी प्रदर्शित की जायेगी। इसके अतिरिक्त आयोजक द्वारा स्थान की उपलब्धता के आधार पर बिहार दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी सामग्री भी वहाँ लगाये जायेंगे।

(अनुपालन : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर/वन संरक्षक, सीवान/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा)

3. <u>कैम्प की व्यवस्था</u> :–

पूर्व के वर्षों की भाँति सभी सुविधाओं के साथ बैठक में प्रदर्शित प्लान के मुताबिक कैम्प स्थापित की जायेगी।

(अनुपालन : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा)

4. <u>वन्यप्राणी प्रभाग</u> :–

(i) मेला में आने वाले पालतु हाथी के अनुश्रवण की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा हाथी वाले क्षेत्र में एक अस्थायी कैम्प कार्यालय स्थापित करेंगे।

(अनुपालन : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा)

(ii) हाथी का हेल्थ चेकअप WTI तथा एरावत संस्था द्वारा पूर्व के वर्षों की भाँति की जायेगी तथा बीमार एवं अस्वस्थ हाथियों की यथासम्भव उपचार की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त हाथी महावतों के हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की जायेगी।

(अनुपालन : भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट)

(iii) हाथी महावतों का 1/2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एरावत संस्था के सहयोग से आयोजित होगा।

(अनुपालन : मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार)

(iv) पालतु हाथियों के मालिकों की एक दिवसीय विचारगोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें हाथियों की देखभाल, हाथियों के आचार–व्यवहार एवं हाथी के संबंध में अन्य जानकारी दी जायेगी।

(अनुपालन : मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार)

(v) मस्त हाथी पर नियंत्रण के लिए संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के एक डाक्टर, कम्पाउन्डर, टैंक्यूलाईजर गन एवं दवा के साथ वहाँ कैम्प करेंगे।

(अनुपालन : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना)

(vi) वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत हाथी की खरीद–बिक्री एवं किसी अन्य विधि से स्थानान्तरण (Transfer) प्रतिबंधित है। तत्संबंधी सूचना एवं मेला में आने वाले हाथियों के मालिकों को दी जाने वाली सुविधा की जानकारी पत्र द्वारा एवं समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जायेगी एवं मेला में भी जगह–जगह फलैक्सी के माध्यम से उसे प्रदर्शित किया जायेगा।

(अनुपालन : मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार/
वन प्रमं०पदा०, शोध, प्रशिक्षण एवं जनसम्पर्क प्रमंडल)

(vii) भारत सरकार के प्रतिनिधि को भी मेला में आने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(अनुपालन : मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार)

(viii) जिला पदाधिकारी, सारण को अधिनियम की जानकारी देकर इसके अनुपालन के लिए विशेष रूप से एक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जायेगा।

(अनुपालन : जिला पदाधिकारी, सारण/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल)

(ix) कार्त्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए हाथी का कोई घाट या समय निर्धारित नहीं है। हाथी एवं स्नान करने वाले लोग साथ–साथ ही स्नान करते हैं। इससे दूर्घटना की संभावना प्रबल रहती है। अतः जिला पदाधिकारी से हाथी स्नान का घाट, वहाँ जाने का रास्ता एवं समय पूर्व से निर्धारित कर प्रचार–प्रसार कराने का अनुरोध किया जायेगा।

(अनुपालन : जिला पदाधिकारी, सारण/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल)

(x) जिला पदाधिकारी, सारण से पशु क्रुरता अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए अलग से प्राधिकृत पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया जायेगा।

(अनुपालन : जिला पदाधिकारी, सारण)

5. <u>पक्षी बाजार में अनुसूचित पक्षियों की बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में</u> :–

(i) मेला आरम्भ होने के पहले ही समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर पक्षी बिक्रेताओं से अनुरोध किया जायेगा कि वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 से संरक्षित पक्षी को वे मेले में न बेचे।

(अनुपालन : मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार/
वन प्रमं०पदा०, शोध, प्रशिक्षण एवं जनसम्पर्क प्रमंडल)

(ii) पक्षी बाजार के सामने फलैक्स लगाकर इसकी जानकारी आम लोगों को दी जायेगी कि संरक्षित पक्षियों की खरीद एवं बिक्री दोनों दण्डनीय अपराध है।

(अनुपालन : मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार/
वन प्रमं०पदा०, शोध, प्रशिक्षण एवं जनसम्पर्क प्रमंडल/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा)

(iii) पक्षी बाजार के अनुश्रवण के लिए एक टीम बनायी जायेगी, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में श्री अरविन्द मिश्रा, सचिव, मन्दार नेचर क्लब, भागलपुर एवं श्री नवीन कुमार, सेवानिवृत महाप्रबंधक, पर्यटन विकास निगम विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित किये जायेंगे। इसपर उनकी सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

(अनुपालन : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा)

6. <u>मेला तैयारी के लिए कार्यकारी दल का गठन</u> :–

(i)	श्री संतोष तिवारी, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर	–	अध्यक्ष
(ii)	श्री पी० के० जायसवाल, वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर	–	उपाध्यक्ष
(iii)	श्री एस० सुधाकर, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण	–	कार्यकारी प्रबंधक

मेले में प्रचार–प्रसार, जन–जागरूकता संबंधी सामग्री प्राप्त करने एवं आवश्यक सहयोग लेने हेतु श्री मुरारी जी मिश्र, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार, श्री अभय कुमार, वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, पटना तथा श्री बी० एन० पी० गुप्ता वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध, प्रशिक्षण एवं जनसम्पर्क प्रमंडल, पटना से आवश्यक सहायता प्राप्त करेंगे। इस प्रभाग की जिम्मेवारी होगी कि मेला आयोजन समिति को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करायेंगे एवं संयुक्त रूप से मेला का सफल आयोजन करायेंगे।

वन्यप्राणी प्रभाग से संबंधित विषयों पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार एवं उनकी टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

7. <u>बजट प्राक्कलन</u> :–

वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–कार्यकारी प्रबंधक, विभागीय आयोजन समिति द्वारा मेला के सफल आयोजन के लिए एक व्यवहारिक बजट तैयार कर अपने वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार को दिनांक–10.11.15 तक समर्पित करेंगे। बजट प्राक्कलन में सभी प्रभागों से प्राक्कलन प्राप्त कर उसे मूल प्राक्कलन में सम्मिलित कर समर्पित किया जायेगा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी एवं बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

9.11.15

(डी० के० शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

37

बिहार सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
पंचम तल, अरण्य भवन, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पोस्ट–वेटनरी कॉलेज, पटना–800 014

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(डी० के० शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

ज्ञापांक– 5396 दिनांक– 19/11/15

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को तत्काल सूचनार्थ प्रेषित।

19.11.15
(डी० के० शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार